# राज्य वित्त आयोग

## प्रिलिम्स के लिये:

राज्य वित्त आयोग, संवैधानिक निकाय, अनुच्छेद 243-I, 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992, पंचायती राज संस्थान (PRIs), शहरी स्थानीय निकाय (ULBs), 15वाँ वित्त आयोग (2021-26), वित्त आयोग, नगर पारिषद, अनुच्छेद 280, भारत की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, 16वाँ वित्त आयोग।

## मेन्स के लिये:

वित्तीय विकेंद्रीकरण में राज्य वित्त आयोगों की भूमिका।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

## चर्चा में क्यों?

पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी राज्यों ने राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन किया है।

- 15 वें **वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट** में राज्य वित्त आयोगों के गठन में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की।

## राज्य वित्त आयोगों (SFCs) के बारे में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- **परिचय: राज्य वित्त आयोग** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-I के तहत राज्यों द्वारा स्थापित संवैधानिक निकाय हैं।
  - अनुच्छेद 243-I के अनुसार, राज्यपाल को **73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992** के अधिनियमित होने के एक वर्ष के अंदर तथा **उसके बाद प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन** करना आवश्यक होगा।
- **अधिदेश:** इनकी प्राथमिक भूमिका **राज्य सरकार और स्थानीय निकायों** यानी पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) **तथा** शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच वित्तीय संसाधनों के **वितरण की सिफारिश** करना है।
- **अनुपालन संबंधी मुद्दे:** 15वें वित्त आयोग (2021-26) ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि **केवल नौ राज्यों ने** अपने **छठे SFC** को गठित किया है जबकि सभी राज्यों द्वारा इसका **वर्ष 2019-20** तक गठन करना था।
  - **कई राज्य अभी भी दूसरे या तीसरे SFC** तक सीमित हैं, जिससे समय पर इनके नवीनीकरण और अद्यतनीकरण की कमी प्रदर्शित होती है।
- **राज्य वित्त आयोग पर 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट:** 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को राज्य वित्त आयोगों का गठन करने, उनकी सिफारिशों को लागू करने और विधानमंडल को एक **कार्य रिपोर्ट** प्रस्तुत करने की सिफारिश की।
  - इसने **उन राज्यों की अनुदान सहायता रोकने का सुझाव दिया** जो इन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करते हैं।
- **पंचायती राज मंत्रालय की भूमिका:** इसका कार्य **वर्ष 2024-25 और 2025-26 हेतु अनुदान जारी करने से पहले** राज्य वित्त आयोगों के संदर्भ में राज्यों की संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति को प्रमाणित करना है।

# वित्त आयोग

**वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है**

-भारतीय संविधान

**अनुच्छेद 280 (भारतीय संविधान का भाग XII)**

**अर्ध न्यायिक निकाय** के रूप में वित्त आयोग का गठन

**गठन:**

भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के भीतर

**सदस्य:**

- अध्यक्ष + 4 सदस्य (**एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित**)- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- योग्यता तय करने का अधिकार-संसद
- **कार्यकाल:** जैसा कि **राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट किया गया है**
- **पुनर्नियुक्ति: पुनर्नियुक्त किये जा सकते हैं**

## एक सिविल कोर्ट की शक्तियाँ

**सिविल प्रक्रिया संहिता** 1908 के अनुसार

**वित्त आयोग की सिफारिशें केवल सलाहकारी हैं और सरकार के लिये बाध्यकारी नहीं हैं**

- **पहला वित्त आयोग (1952-57)**
  - अध्यक्ष- **के. सी. नियोगी**
- **दूसरा वित्त आयोग (1957-62)**
  - अध्यक्ष- **के. संथानम**
- **पंद्रहवाँ वित्त आयोग (2021-2026)**
  - अध्यक्ष- **एन.के. सिंह**
- **राज्य वित्त आयोग**
  - **राज्यपाल** द्वारा प्रत्येक **5वें वर्ष** में गठित (**अनुच्छेद 243**)
  - **पंचायतों और नगर पालिकाओं** की वित्तीय स्थिति की समीक्षा

**राष्ट्रपति को FC द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की जाती हैं:**

- केंद्र और राज्यों के बीच **शुद्ध कर आय का वितरण**
- केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता हेतु **अनुदान का निर्धारण**
- **राष्ट्रपति द्वारा इसे भेजे गए अन्य वित्तीय मामले**
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर **पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश** करना।

## राज्य वित्त आयोगों (SFCs) का गठन क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **संवैधानिक आवश्यकता:** अनुच्छेद 243(I) के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोगों का नियमित और समय पर गठन करना एक **संवैधानिक अधिदेश है, जिसका उद्देश्य** स्थानीय निकायों की **वित्तीय स्थिरता एवं स्वायत्तता** सुनिश्चित करना है।
- **राजकोषीय हस्तांतरण: स्थानीय निकायों** के बीच **धन के उचित आवंटन** से स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित होती है।
  - इससे केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा राज्यों और स्थानीय निकायों को केंद्रीय निधियों के आवंटन में सहायता मिलती है।
- **जवाबदेहिता में वृद्धि:** वित्तीय आवश्यकताओं का **मूल्यांकन करके,** संसाधनों के **इष्टतम उपयोग का सुझाव देकर तथा राजकोषीय उपायों की सिफारिश करके,** राज्य वित्त आयोग स्थानीय निकायों की **सेवा वितरण में सुधार करने** के साथ इन्हें नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने हेतु प्रेरित कर सकते हैं।
- **SFC से प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन** के लिये तंत्र मिलता है जिससे **पुरस्कार और दंड** की प्रणाली विकसित होने के साथ स्थानीय स्तर पर बेहतर शासन प्रथाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- **स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना:** स्थानीय शासन निकाय **स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बुनियादी ढाँचे** जैसी सेवाएँ प्रदान करके **दैनिक जीवन** को प्रभावित करते हैं।
  - SFC की सिफारिशों द्वारा समर्थित उचित वित्तपोषण और वित्तीय स्वायत्तता, सेवा की गुणवत्ता में सुधार हेतु महत्त्वपूर्ण हैं।
- **कार्यात्मक एवं वित्तीय अंतराल को कम करना:** स्थानीय निकायों को अक्सर वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में समस्याएँ आती हैं।
- **राज्य वित्त आयोग** उत्तरदायित्वों के आधार पर वित्तीय हस्तांतरण की सिफारिश करके इस समस्या का समाधान करने के साथ यह सुनिश्चित करते हैं कि स्थानीय सरकारों के पास **अपने दायित्वों को पूरा करने** के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हों।
  - राज्य वित्त निगम प्रभावी सिफारिशों द्वारा **राजकोषीय हस्तांतरण को सुव्यवस्थित करने, वित्तपोषण की पूर्वानुमेयता में सुधार करने तथा वित्तीय अस्थिरता को कम करने** में भूमिका निभा सकते हैं।
- **राजनीतिक और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण:** राज्य वित्त आयोग की भूमिका **वित्तीय अनुशंसाओं से कहीं अधिक विस्तारित** है। यह **नगरपालिका पार्षदों और पंचायत प्रधानों** जैसे **स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त** बनाने का कार्य करता है।

## वित्त आयोग

- **संवैधानिक आधार:** यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।
  - इसकी नियुक्ति **राष्ट्रपति द्वारा** प्रत्येक **पाँच वर्ष में** या राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक समझे जाने पर पहले भी की जाती है।
- **संरचना:** आयोग में एक **अध्यक्ष** और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त **चार अन्य सदस्य** होते हैं।
  - अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसे सार्वजनिक **मामलों का अनुभव** हो।
- **कार्य और कर्तव्य**: वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य विभिन्न वित्तीय मामलों पर **राष्ट्रपति को सिफारिशें करना है।**
- **कर वितरण: यह** करों की शुद्ध आय के **संघ और राज्यों** के बीच वितरण की सिफारिश करता है इसमें कर आय से राज्यों के बीच शेयरों का आवंटन शामिल है।
- **सहायता अनुदान:** यह विधेयक भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देने के सिद्धांतों का सुझाव देता है।
  - इसमें भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की स्थापना करना शामिल है।
- **राज्य निधि में वृद्धि:** यह विधेयक राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर **पंचायतों** और **नगर पालिकाओं** के संसाधनों के पूरक के लिये राज्य की समेकित निधि **में वृद्धि के उपायों की सिफारिश करता है।**
- **अतिरिक्त मामले**: वित्त आयोग सुदृढ़ सार्वजनिक वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा उसे सौंपे गए किसी अन्य मामले पर भी विचार कर सकता है।
- **स्थानीय शासन के लिये महत्त्व**: वित्त आयोग न केवल **संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को निर्धारित करता है, बल्कि स्थानीय निकायों की राजकोषीय क्षमताओं को** मज़बूत करने के तरीकों की भी सिफारिश करता है।
  - इससे यह सुनिश्चित होता है कि स्थानीय सरकारों के पास आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिये **पर्याप्त धनराशि हो, जिससे विकेंद्रीकृत शासन** और **जन-केंद्रित नीतियों में योगदान मिले।**
- **16 वां वित्त आयोग: 16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023** में किया गया, **जिसके** अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया **होंगे।**
- **इसमें 1 अप्रैल, 2026 से प्रारंभ होकर 5 वर्ष** की पुरस्कार अवधि शामिल है।

## राज्य वित्त आयोगों (SFC) की समस्याएँ क्या हैं?

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव**: 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के अनुसार, स्थानीय निकायों को **पूर्ण रूप से शक्ति और संसाधन हस्तांतरित करने** के प्रति राज्य सरकारों में **व्यापक प्रतिरोध है।**
- **संसाधनों की कमी**: SFC को अक्सर डेटा एकत्र करते समय **शुरुआत से ही काम करना पड़ता है,** क्योंकि **आसानी से उपलब्ध तथा व्यवस्थित जानकारी की कमी होती है, जिससे** उनकी प्रभावशीलता और भी अधिक बाधित होती है।
- **विशेषज्ञता में कमी**: कई राज्य वित्त आयोगों का नेतृत्व **नौकरशाहों या राजनेताओं द्वारा किया जाता है,** तथा इनमें डोमेन विशेषज्ञों और सार्वजनिक वित्त पेशेवरों का अभाव होता है।
  - **योग्य टेक्नोक्रेटों** की अनुपस्थिति **SFC की सिफारिशों की विश्वसनीयता और गुणवत्ता को** कम करती है, जिससे उनका प्रभाव कमज़ोर हो जाता है।
- **अपारदर्शिता:** राज्य अक्सर SFC की सिफारिशों के बाद विधायिका में **कार्रवाई रिपोर्ट (Action Taken Reports- ATR) पेश करने में विफल रहते हैं, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही कम हो जाती है।**

- **राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों की अनदेखी: राज्य सरकारों द्वारा राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का अनुपालन न करने** की एक प्रवृत्ति रही है, जो स्थानीय शासन के लिये राजकोषीय नीतियों को आकार देने में राज्य वित्त आयोग की भूमिका को कमज़ोर करती है।
- **जन प्रतिरोध:** विशेषज्ञों का कहना है कि शहरी स्थानीय निकायों को **उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, उनमें राजनीतिक जागरूकता कम है और जनता की भागीदारी भी सीमित है,** जिससे राजकोषीय विकेंद्रीकरण की स्थिति और खराब हो जाती है।

## आगे की राह

- **संवैधानिक समय-सीमा का अनुपालन:** संविधान के अनुसार राज्यों को **हर पाँच वर्ष में SFC का गठन करना चाहिये। समय-सीमा का पालन न करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये,** अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये **नियमित निगरानी की जानी चाहिये।**
- **राजनीतिक प्रतिरोध को कम करना**: **राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों के लिये वित्तीय स्वायत्तता** के लाभों के बारे में पता होना चाहिये, जिससे **बेहतर सेवाएँ, नागरिक संतुष्टि** तथा जवाबदेह शासन प्राप्त होगा।
- **सार्वजनिक वित्त विशेषज्ञ**: राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आयोगों का नेतृत्व **अर्थशास्त्रियों, वित्त विशेषज्ञों और प्रासंगिक पेशेवरों द्वारा किया जाए,** न कि केवल नौकरशाहों तथा राजनेताओं द्वारा, ताकि उनकी कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके।
- **स्थानीय डेटा प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना**: स्थानीय निकायों को सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिये **आधुनिक डेटा प्रणालियों को अपनाना चाहिये, जिससे राज्य वित्त आयोगों को सूचित सिफारिशें करने में सहायता मिलेगी।**
- **कार्रवाई रिपोर्ट (ATR)**: राज्यों को विधानमंडल में **कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करनी चाहिये, जिसमें** बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही के लिये SFC की सिफारिशों को लागू करने के लिये **समयसीमा तथा उपायों की रूपरेखा हो।**
- स्वतंत्र निकायों को वित्तीय हस्तांतरण की **प्रभावशीलता** और SFC सिफारिशों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने का कार्य सौंपा जा सकता है।
- **प्रोत्साहन ढाँचा**: मंत्रालय को SFC अनुपालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के लिये **पुरस्कार प्रणाली बनानी चाहिये तथा अन्य राज्यों को स्थानीय शासन में सुधार करने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिये।**

***??????? ????? ???????:***

**प्रश्न:** भारत में स्थानीय शासन को मज़बूत करने में राज्य वित्त आयोगों (SFC) की भूमिका पर चर्चा कीजिये

## UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

### प्रिलिम्स

**प्रश्न:** निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2023)

1. जनांकिकीय निष्पादन

2.वन और पारिस्थितिकी

3.शासन सुधार

4.स्थिर सरकार

5.कर और राजकोषीय प्रयास

**समस्तर कर-अवक्रमण के लिये पंद्रहवें वित्त आयोग ने उपर्युक्त में से कितने को जनसंख्या क्षेत्रफल और आय के अंतर के अलावा निकष के रूप में प्रयुक्त किया?**

(a)केवल दो

(b)केवल तीन

(c)केवल चार

(d)सभी पाँच

**उत्तर: (b)**

---

**प्रश्न: संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992, जिसका उद्देश्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? (2011)**

1. ज़िला योजना समितियों का गठन।
2. राज्य चुनाव आयोग सभी पंचायत चुनाव संचालित करेगा।
3. राज्य वित्त आयोगों की स्थापना।

**नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:**

(a)केवल 1

(b)केवल 1 और 2

(c)केवल 2 और 3

(d)1, 2 और 3

**उत्तर: (c)**

---

## ?????

**प्रश्न:** भारत के 14वें वित्त आयोग की संतुस्तियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति में सुधारने में कैसे सक्षम किया है? (2021)

**प्रश्न:** आपके विचार में सहयोग, स्पर्द्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है ? अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिये कुछ हालिया उदाहरण उद्धत कीजिये। (2020)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/state-finance-commission-2